न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3176–दो/16 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12–09–2016 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 887/अपील/2013–14

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी तनय स्व0 सुखेन्द्र प्रसाद
निवासी ग्राम चुँआ तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ––– आवेदक

विरूद्ध

नृपेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री मोराध्वज सिंह
निवासी ग्राम टीकर तहसील हुजूर जिला
रीवा म0प्र0

––– अनावेदक

....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री लाल प्रताप सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

....

आदेश

(आज दिनांक 13/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–09–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक नृपेन्द्र सिंह तनय श्री मोरध्वज सिंह निवासी टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा नायब तहसीलदार हुजूर सर्किल

गोबिन्दगढ को आवेदन प्रस्तुत कर आराजी न0 523 रकवा 3.86 एकड़ का सुधार किये जाने हेतु धारा 115 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त कर जिसमें आवेदक राजेन्द्र प्रसाद तनय सुखेन्द्र प्रसाद काबिज दाखिल होने एवं पटट्। वर्ष 1958–59 की खतौनी तथा खसरा वर्ष .56–57 का प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अनावेदक का आवेदन दिनांक 28.11.07 द्वारा निरस्त किया गया, इससे से दुखित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 4.8.14 म्याद बहार होने से निरस्त की गई, इससेसे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किया इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा कमांक 523 रकवा 3.86 एकड स्थित ग्राम टीकर पुराना न0 495 रकवा 3.86 एकड़ के संबंध में दिनांक 25.8.04 को एक किता आवेदन पत्र धारा 115 सहपठित धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि के मालिक व काविज मोरध्वंज सिंह बगैरह थे रजिस्टर्ड बटवारे में उक्त भूमि मोरध्वज सिंह को मिली थी और उक्त भूमि को मोरध्वज सिंह के वारिसों ने किसी तरह से आवेदक को स्थानान्तरित नहीं किया और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से व बिना सूचना व सुनवाई के अवैध रूप से खसरे में नाम इन्द्राज कर दिया गया जिसका नाम निरस्त कर मोरध्वज सिंह के वारिसों के नाम दर्ज किया जाने का अनुरोध किया गया। तर्क में कहा गया है कि अनावेदक के उक्त आवेदन

पत्र का विरोध इस कथन के साथ किया गया कि विवादित भूमि इलाकेदार लाल यशवंत सिंह के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी और इलाकेदार द्वारा आवेदक के बाबा वशिष्टराम को अन्य भूमियों के साथ विवादित भूमि का पटट्ा दिनांक 30.10.31 को दिया गया तथा दिनांक 25.01.32 को आवेदक के बाबा को 450/– रूपये में विकी कर दिया और आवेदक के बाबा उक्त विवादित भूमि में बतौर सत्ताधारी मालिक रहे, उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिस आवेदक बतौर मालिक के काबिज है जिसमें मोरध्वज सिंह आदि व उनके वारिस का कभी किसी प्रकार से स्वत्व व आधिपत्य नहीं था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि नायब तहसीलदार के न्यायालय में अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र को किसी तरह से सिद्व न किये जाने पर अनावेदक का आवेदन पत्र दिनांक 28.11.07 को निरस्त कर दिया गया जिसकी जानकारी रखते हुये अनावेदक द्वारा समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं की गई और म्याद के बाहर पांच माह बाद अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में म्याद के बाहर धारा 5 मयाद अधिनियम आवेदन पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई, समयावधि के बाहर पाये जाने पर निरस्त की गई। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 12.9.16 निरस्त कर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.11.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 4.8.14 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में ही अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की है। लेखी बहस में उनके द्वारा लेख किया गया है कि अनावेदक के द्वारा दिये गये 115 सपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के जबाव में तथा गस्ती खसरों में

राजेन्द्र प्रसाद का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया के समर्थन में कोई दस्तावेज ही पेश किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में भी आवेदक ने बिना आदेश के ही इत्तला राजेन्द्र प्रसाद द्वारा कराने का कथन अपने द्वारा दिये गये बहस में किया था फिर भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया जिससे गस्ती खसरों में राजेन्द्र प्रसाद का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया के विरूद्व निष्कर्ष निकाला जावेगा कि गस्ती खसरा की प्रविष्टि अनाधिकृत तरीके से की गई है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लेखी बहस में यह भी तर्क किया गया है कि राजेन्द्र प्रसाद का नाम दर्ज है तब प्रकरण धारा 115 सपठित धारा 32 के तहत ही चलेगा। धारा–116 के तहत नहीं। अनाधिकृत प्रविष्टि को चैलेन्ज करने हेतु कोई म्याद नहीं होती और उसे कभी भी किसी भी समय जानकारी में आने पर निरस्त किया जा सकता है, इसलिये ही अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व नहीं वल्कि विधि सम्मत है। अनावेदक द्वारा यह भी लेख किया गया है कि आवेदक ने बिवादित भूमि के संबंध में गस्ती खसरों की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें वर्ष 84–85 से 88–89 में मोरध्वज सिंह आदि वसरह न0 168 दर्ज है 89–90 से 93–94 के गस्ती खसरे में भी मोरध्वज सिंह आदि वसरह न0 168 दर्ज है। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश की इत्तला के राजेन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज कर दिया गया है जो विधि एवं कानूनी प्रावधान के विपरीत है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 12.9.16 स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक नृपेन्द्र सिंह तनय श्री

मोरध्वज सिंह निवासी टीकर तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा नायब तहसीलदार हुजूर सर्किल गोबिन्दगढ को आवेदन प्रस्तुत कर आराजी न0 523 रकवा 3.86 एकड़ का सुधार किये जानें हेतु धारा 115 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया। तथा नायब तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 18.7.07 एवं दिनांक 20.8.07 को अनावेदक को खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया लेकिन उनके द्वारा खसरे प्रति प्रस्तुत नहीं की। दिनांक 19.9.07 को आवेदक राजेन्द्र प्रसाद द्वारा मय लिस्ट कागजात के साथ खसरों की प्रति प्रस्तुत की। आवेदक राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने जबाव में कहा गया कि आराजी न0 523 जिसका पुराना नम्बर 495 था । नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया उसमें आराजी 523 में आवेदक राजेन्द्र प्रसाद काविज काबिल है था, उसी के आधार पर अनावेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि सुखेन्द्र प्रसाद के नाम से दर्ज प्रविष्टि फर्जी किस आधार पर बताया गया है इसका उनके द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपर आयुकत रीवा द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन मगांकर ही एवं अनावेदक को दिनांक 18.7.07 एवं 20.8.07 को अवसर प्रदान करने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने में असमर्थ रहे, इसलिये अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 887/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.9.16 त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त रीवा का प्रकरण क्रमांक 887/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.9.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, तथा नायब तहसीलदार गोबिन्दगढ़ जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 58/अ–6/अ/ 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 28.11.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक 122/अ–6/07–08 में पारित आदेश दिनांक 4.8.14 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर